

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-27 / 2017

आदेश दिनांक:-

31-01-2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री सी.पी.शर्मा

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :- श्री रामबाबू गुप्ता

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रकरण में शीघ्र सुनवायी किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या-1454 प्रस्तुत किया गया है ।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि यह अपील वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई है तथा इससे पूर्व की कई अपीलें न्यायालय में लंबित हैं। इस अपील को शीघ्र सुनवायी किए जाने के कोई आधार नहीं हैं । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)